सं.ए-12023/1/2021-प्रशा.IV

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

ए विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन,
डॉ.आरपी रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांकः 13 अक्तूबर, 2021

सेवा में,

1. सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार।
2. सचिव, भारत सरकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
3. सभी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य सचिव।
4. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण।
5. सचिव, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण।
6. सचिव, सीसीआई
7. सचिव, आईबीबीआई
8. सचिव, एनएफआरए
9. सचिव, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
10. सचिव, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई), सदर स्ट्रीट, कोलकाता
11. सचिव, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषयः राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में न्यायिक सदस्य के 09 (नौ) पद और तकनीकी सदस्य के 06 (छह) पदों को भरने के संबंध में - ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने हेतु

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में न्यायिक सदस्यों के 09 (नौ) और तकनीकी सदस्यों के 06 (छह) पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन (**https://apptrbmembermca.gov.in** पोर्टल पर उपलब्ध) आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

2. चयनित उम्मीदवारों द्वारा पहले से गठित एनसीएलटी न्यायपीठों या रिक्तियों की उपलब्धता/कार्य की अनिवार्यता के अनुसार संपूर्ण भारत में स्थानांतरण के दायित्व सहित चरणबद्ध रीति से देश के विभिन्न भागों में गठित किए जाने वाले एनसीएलटी न्यायपीठों में कार्य करना अपेक्षित होगा।

3. **न्यायिक सदस्य की अर्हताएं:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(2) के उपबंधों के अनुसार, कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा, यदि, वह :-

(क) उच्च न्यायालय का न्यायधीश हो या रहा हो, या

(ख) कम से कम पांच वर्षों के लिए जिला न्यायधीश हो या रहा हो, या

(ग) कम से कम दस वर्षों के लिए किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।

स्पष्टीकरण: खंड (ग) के प्रयोजनार्थ, वह अवधि, जिसके दौरान एक व्यक्ति किसी न्यायलय में अधिवक्ता रहा है, की गणना करते समय ऐसी कोई अवधि जिसके दौरान उस व्यक्ति द्वारा किसी न्यायिक कार्यालय में या किसी अधिकरण के किसी सदस्य के कार्यालय में कोई पद या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारण किया है, शामिल की जाएगी, जिसमें उस व्यक्ति के अधिवक्ता बनने के पश्चात् विशेष ज्ञान अर्जित करना अपेक्षित होगा।

तकनीकी सदस्य की अर्हताएं: कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(3) के उपबंधों के अनुसार, एक व्यक्ति तकनीकी सदस्य की नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह -

(क) कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए भारतीय कारपोरेट विधि सेवा या भारतीय विधि सेवा का सदस्य हो और भारत सरकार में सचिव या अपर सचिव के पद पर कार्य किया हो; या

(ख) कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए चार्टर्ड लेखाकार के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या

(ग) कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए लागत लेखाकार के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या

(घ) कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए कंपनी सचिव के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या

(ङ) एक सिद्ध सक्षम, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और जिसके पास औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक पुनर्गठन, निवेश, लेखांकन में विशेष ज्ञान और कम से कम पंद्रह वर्षों का व्यवसायिक अनुभव रहा हो; या

(च) व्यक्ति कम से कम पांच वर्षों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी हो या रहा हो।

4. एक ऐसा व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसने ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को **50 (पचास वर्ष) की आयु [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 413(2)]** पूरी न कर ली हो।

5. **नियुक्ति के निबंधन:** सदस्य 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर-15 और इसके अतिरिक्त यथास्वीकृत भत्ते सहित वेतन प्राप्त करेंगे। कार्यरत या सेवानिवृत्त (सरकारी

अधिकारी या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, पीठासीन अधिकारी, किसी अधिकरण, अपील अधिकरण या किसी प्राधिकरण का कोई सदस्य या उच्च न्यायलय का कोई न्यायधीश) आवेदक, जो उच्चतम वेतनमान, जिसमें भारत सरकार का उच्चतम वेतनमान भी शामिल है, में कार्यरत हैं या थे, के लिए वेतन संरक्षण उपलब्ध है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2015 द्वारा वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का नियंत्रण किया जाएगा। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर इन नियमों की प्रति उपलब्ध है। चयनित व्यक्ति, यदि पहले से ही सरकारी सेवा में हो तो वह, इस कार्यालय में कार्य करते हुए अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक अपने मूल संवर्ग या मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो में अपना दावा रख सकता है।

6. अधिकरण में सदस्य के रूप में कार्यग्रहण करने के पश्चात, यदि कोई सदस्य अन्य संगठन/पद में अन्य असाइनमेंट के लिए आवेदन करना चाहता है तो एनसीएलटी के सदस्य के रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही उस असाइनमेंट हेतु उनके आवेदन को अग्रेषित करने पर विचार किया जाएगा।

7. प्रत्येक सदस्य द्वारा उनके कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में पदधारण किया जाएगा, परंतु वह अन्य पांच वर्षों की अवधि के लिए पुन: नियुक्ति का भी पात्र होगा। यद्यपि इस नियुक्ति की अवधि पैसठ वर्ष की अधिकतम आयु के अध्यधीन है।

8. चयनित व्यक्तियों द्वारा ज्वाइनिंग से पूर्व चिकित्सा स्वास्थता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

9. न्यायलय/सरकारी सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अन्य संगठनों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख के 10 दिनों के भीतर उचित माध्यम से अग्रेषित किए जाएंगे। अग्रेषण प्राधिकारी (ऑनलाइन आवेदन के अनुलग्नक-। में दिए प्रारूप में) यह भी प्रमाणित करेंगे कि आवेदन में की गई प्रविष्टियों का अभिलेखों से सत्यापन किया गया है और उन्हें सही पाया गया है, और यह भी कि आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक, सतर्कता कार्यवाहियां न तो लंबित हैं और न ही विचाराधीन है और यह कि पिछले दस वर्षों के दौरान उस अधिकारी पर किसी प्रकार की बड़ी या छोटी शास्तियां नहीं लगाई गई हैं। अग्रेषण प्राधिकारी आवेदकों के पिछले पांच वर्षों के अप-टू-डेट गोपनीय रिपोर्ट डोजियर संलग्न करेंगे।

10. इच्छुक व्यक्तियों को 15.10.2021 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से **https://apptrbmembermca.gov.in** पोर्टल देखने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन दायर करने के विस्तृत निर्देश पोर्टल ("ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्देश" शीर्षक के अधीन) पर उपलब्ध है। आवेदन दायर करते समय सभी अपेक्षित एवं संगत दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 12.11.2021 अपराह्न 05.30 बजे है।

11. **विधिवत् रूप से पूर्ण और अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति सहित हस्ताक्षरित, और उचित माध्यम से, जहां कहीं भी लागू हो, आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल पर अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के पश्चात् आवेदन का प्रिंटआउट 22.11.2021 अपराह्न 05.30 बजे तक श्री रियाज़ुल हक़, अवर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा संख्या 526, ए विंग, पांचवां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 के पास पहुंच जाना चाहिए।**

भवदीय,

रा. त्यागी

(राकेश त्यागी)

निदेशक

प्रतिलिपिः

1. अवर सचिव, प्रशासन.II अनुभाग, एमसीए को पात्र आईसीएलएस अधिकारियों में परिचालित करने हेतु।

2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, एमसीए को पोर्टल पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध सहित

3. तकनीकी निदेशक एनआईसी, डीओपीटी को डीओपीटी वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

4. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को मंत्रालय की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

अनुलग्नक-I

(नियोक्ता कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि .... (आवेदन संख्या ....) द्वारा प्रस्तुत विशिष्टियां और सही है और वह रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते/रखती हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

(i) श्री/श्रीमती ....के विरुद्ध किसी प्रकार की सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।

(ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

(iii) उनके पांच वर्षों की सीआर/एपीएआर डोजियर मूल रूप में/भारत सरकार के अवर सचिव या उससे ऊपर के के स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित एसीआर/एपीएआर की फोटो प्रतियां, संलग्न हैं।

(iv) "पिछले दस वर्षों के दौरान उन पर किसी प्रकार की बड़ी या छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है।"

(v) पिछले दस वर्षों को दौरान उन पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्तियों की सूची संलग्न है।

हस्ताक्षर: ....
नाम एवं पदनाम: ....
दूरभाष संख्या: ....
कार्यालय मुहर

स्थान: ....
तारीख: ....
अनुलग्नकों की सूची

1.
2.
3.
4.
5.

(जो लागू न हो उसे काट दें)